रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY,
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 1988/ज्येष्ठ 13, 1910
No. 115] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 1988/JYAISTHA 13, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 14 आई टी सी (पी एन)/88—91

नई दिल्ली, 3 जून, 1988

विषय :—अप्रैल 1988—मार्च 1991 के लिए आयात-निर्यात नीति।

फा. सं. आई.पी.सी./415(261)/85-88:—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 1-आई टी सी (पी एन)/88-91, दिनांक 30 मार्च, 1988 के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल 1988-मार्च 1991 के लिए यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति 1988-91 (खंड-1) की पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	166	परिशिष्ट-6 खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन मदों का आयात	वर्तमान मद सं. 45 के बाद निम्नलिखित नयी मदों को जोड़ा जाएगा : —

मद	पात्र आयातकों की श्रेणी
"46 निम्नलिखित विशिष्टीकरण के बसों और ट्रकों के टायर :—	(क) यानों की मूल चेसिस के विनिर्माता जो ऐसे यानों के विनिर्माण में उक्त टायरों का उपयोग करते हैं।
1000×20—16 पी आर 1000×20—14 पी आर	(ख) मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 68 के खंड (ख) में निर्दिष्ट राज्य सड़क परिवहन उपक्रम।
900×20—16 पी आर 900×20—14 पी आर 900×20—12 पी आर	(ग) राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संगम जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत

1	2	3	4
		(रिब्बड, लग और सेमी लग किस्मों के नायलान टायर)	सोसाइटी हैं, देखिए 1865-66 की रजिस्ट्रीकरण सं. ए स-2815, तारीख 2 अगस्त, 1965 ।

(घ) यानों के स्वामियों के ऐसे संगम, जिनमें उक्त टायरों का उपयोग किया जाता है और वे उस रूप में भारत सरकार के औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इस निमित्त उनके द्वारा बनाई गई स्कीम के अनुसार अनुमोदित हैं;

(ङ) अधिकारी, प्राधिकारी, उपक्रम, किसी राज्य सरकार के अधीन विभाग या अन्य निकाय जो संबंधित सरकार द्वारा उक्त टायरों का आयात करने के लिए प्राधिकृत है और उस रूप में भारत सरकार के औद्योगिक विभाग द्वारा इस निमित्त उसके द्वारा बनाई गई स्कीम के अनुसार अनुमोदित है। "

3. आयात-निर्यात नीति में उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गये हैं।

राजीव लोचन मिश्र,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

PUBLIC NOTICE No. 14 - ITC (PN) /88—91

New Delhi, the 3rd June, 1988

Subject : Import and Export Policy for April 1988 — March 1991

F. No. IPC/415(261)/85-88 :—Attention is invited to the Import and Export Policy for April 1988 - March 1991, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1 - ITC(PN)/88-91, dated the 30th March, 1988 as amended.

2. The following amendment shall be made in the Policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import and Export Policy 1988-91 (Volume 1)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	166	APPENDIX-6 IMPORT OF ITEMS UNDER OPEN GENERAL LICENCE	After the existing Item No. 45, the following new item shall be added :—

Item	Categories of eligible importers
"46. Bus and truck tyres of the following specifications : 1000×20 - 16 PR 1000×20 - 14 PR 900×20 - 16 PR 900×20 - 14 PR	(a) Manufacturers of original chasis of vehicles and use the said tyres in the maunfacture of such vehicles.
900×20 - 12 PR (Nylon tyres in ribbed, lug and semi-lug varieties).	(b) State Road Transport Undertakings referred to in Clause (b) of Section 68 A of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939).

1	2	3	4
			(c) Association of State Road Transport Undertakings, being a society registered under the Societies Registration Act 1860 (21 of 1860) vide Registration No. S-2815 of 1965-66, dated the 2nd August 1965.
			(d) Associations of owners of vehicles in which the said tyres are used and approved as such by the Department of Industrial Development of the Government of India in accordance with the Scheme framed by them in this behalf.
			(e) Officer authority undertaking Department or other body under a State Government, authorised by the concerned Government to import the said tyres and approved as such also by the Department of Industrial Development of the Government of India in accordance with the Scheme framed by them in this behalf.''

3. The above amendment in the Import and Export Policy has been made in the public interest.

R. L. MISRA,
CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988